विविध सिविल अपील क्र. MCA/16/2021

न्यायालयः— खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण, सह प्रधान जिला न्यायधीश पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

(समक्ष— डी.के.नागले, प्रधान जिला न्यायाधीश)

Registration No. MCA/16/2021
Filing No. MCA/ 71/2020
CNR No. MP10010001022020
Filing date 10-01-2020

चेतन पिता सनद कुमार पंचोली, वर्तमान आयु लगभग 42 वर्ष,
निवासी मेन रोड़, रेखा टॉकिज के सामने, भीकनगांव,
तह. भीकनगांव, जिला खरगोन(म0प्र0) ... अपीलार्थी/अनावेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
खाद्य एवं औषधी प्रशासन, जिला खरगोन (म0प्र0) ..... प्रत्यर्थी/आवेदक

उपर्युक्त शीर्षाधीन विविध सिविल अपील, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन द्वारा प्रकरण क्र. 20/बी—121/खासु/18—19 में दि. 10.10.2019 को पारित आदेश से उद्भुत है।

अपीलार्थी द्वारा	:—	श्री डी.बी.पाठक, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी/शासन द्वारा	:—	श्री सचिन्द्र उपाध्याय,शास. अधिवक्ता।

//आदेश//

(आज दिनांक 04 मार्च, 2022 को पारित)

1. अपीलार्थी/अनावेदक की ओर से धारा 70 खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के अंतर्गत यह विविध सिविल अपील, न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन द्वारा प्रकरण क्र. प्रकरण क्र. 20/बी—121/खासु/18—19 में दि. 10.10.2019 को पारित आलोच्य आदेश, जिसके द्वारा विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपनी फर्म से अवमानक दहीं का विक्रय एवं संग्रहण कर उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 26 का

उल्लंघन किये जाने से अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत अनावेदक/अपीलार्थी पर 75,000/–रूपए की शास्ति अधिरोपित की है, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण के तथ्य सारांशित रूप में इस प्रकार है कि श्री नीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला खरगोन के द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी, खरगोन के समक्ष इस आशय का आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा दि. 06.10.2018 को लगभग 6.00 बजे शाम को भीकनगांव में रेखा टॉकिज के सामने स्थित फर्म गायत्री डेयरी पहुंचकर वहां उपस्थित अनावेदक चेतन पंचोली को अपना पदनाम परिचय दिया एवं फर्म का मौका निरीक्षण का मंतव्य रखा। अनावेदक ने स्वयं को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया। निरीक्षण के समय फर्म पर दूध, दहीं, घी, मावा आदि खाद्य सामग्री विक्रय हेतु रखा होना पाया गया एवं उक्त सामग्री में से दही का नमूना जांच हेतु लेने का मंतव्य रखा, जो अनावेदक चेतन द्वारा स्वीकार करने पर 5–ए के निर्धारित प्रारूप में जानकारी भरकर अनावेदक विक्रेता को दी। तत्पश्चात उक्त खाद्य सामग्री दही के नमूने लेकर उन्हें सुरक्षित डिब्बे में रखककर विधिवत् लेबल लगाकर एवं सीलबंद कर समस्त कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया तथा प्रश्नगत दही नमूना के एक–एक सील्ड भाग को खाद्य परीक्षण हेतु लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया एवं उक्त खाद्य नमूना के शेष तीन–तीन भागों को सीलबंद कर अभिहित अधिकारी, जिला खरगोन के कार्यालय में जमा किया गया।

3. प्रकरण में खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला से प्रश्नगत दही नमूना की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार, प्रश्नगत दही का नमूना में मिल्क फेट एवं मिल्क सॉलिड नाट फैट की मात्रा निर्धारित स्तर से कम पाये जाने से नमूना अवमानक पाया गया। इसके पश्चात अभिहित अधिकारी द्वारा पत्र के साथ प्रश्नगत खाद्य अर्थात दही नमूना के संबंध में प्रयोगशाला से प्राप्त जांच प्रतिवेदन संलग्न कर, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में प्रकरण पेश करने का निर्देश दिया गया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी द्वारा अनावेदक/विक्रेता को अधिनियम की धारा 46(4) के अंतर्गत प्रश्नगत दही नमूना की पुनः जांच हेतु पत्र दिया गया, परन्तु अनावेदक द्वारा नमूना की पुनः जांच हेतु कोई आवेदन पेश नहीं किया गया।

4. अनावेदक क्र. 1 द्वारा अवमानक खाद्य सामग्री दही का क्रय एवं संग्रहण करने से अनावेदक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर, अनावेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 सहपठित धारा 51 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया।

5. विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अनावेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण को पंजीबद्ध करने के पश्चात उसे सूचना–पत्र जारी किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनावेदक ने विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण बताओ सूचना–पत्र का लिखित जवाब पेश कर उसके विरूद्ध आरोप–पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों एवं आक्षेपों को पूर्णतः असत्य होना प्रकट करते हुए अस्वीकार किया तथा प्रश्नगत दही का नमूना अवमानक होना भी पूर्ण अस्वीकार करते हुए यह बताया कि उसके द्वारा अवमानक दही खुला विक्रय नहीं किया गया है और न ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 का उल्लंघन किया है। उसके विरूद्ध असत्य जांच रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसके समक्ष मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अतः प्रस्तुत परिवाद/आरोप–पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवेदक/शासन की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खरगोन एवं डॉ0 रमेश नीमा, अभिहित अधिकारी के कथन करवाये गए। अनावेदकगण की ओर से आवेदक साक्ष्य के खण्डन में किसी साक्षी के कथन नहीं करवाये गए। प्रकरण में सुनवाई पूर्ण करने के पश्चात विद्वान विचारण न्याय निर्णायक अधिकारी ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपनी फर्म से अवमानक दहीं का विक्रय एवं संग्रहण कर उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने से अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत अनावेदक/अपीलार्थी पर 75,000/–रूपए की शास्ति अधिरोपित की, जिससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अनावेदक/अपीलार्थी ने यह अपील पेश की है।

(डी. के. नागले)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

7. अपीलार्थी/मूल अनावेदक की ओर से अपील प्रस्तुत करते हुए अपील में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि आलोच्य आदेश साक्ष्य, तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध होकर स्पीकिंग आदेश नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधनों पर उचित विचार न करते हुए बिना प्रमाण के अनावेदक/अपीलार्थी को फर्म का प्रोपायटर व स्वामी मानने में त्रुटि की है। प्रश्नगत दही का नमूना विधिवत् नहीं लिया गया है और सेम्पल लेने की कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं हुई है। अपीलार्थी/अनावेदक को अधिनियम की धारा 46 (4) का सूचना–पत्र भी विधिवत् दिया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है। अनावेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध प्रश्नगत दही को विक्रय हेतु संग्रहण करने का भी कोई प्रमाण नहीं होने के बावजूद भी उसे दोषी मानने में घोर अवैधानिकता की है। प्रश्नगत दही स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मानने में भी त्रुटि की है। विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने परीक्षण रिपोर्ट पर विश्वास करके त्रुटि की है, जो कि अत्यधिक विलम्बित थी। अनावेदक/अपीलार्थी द्वारा सूचना–पत्र के संबंध में प्रस्तुत लिखित जवाब एवं स्पष्टीकरण पर भी उचित रूप से विचार नहीं किया है। अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों पर भी विचार नहीं किया है। इस पर भी विचार नहीं किया है कि संबंधित राज्य खाद्य प्रयोगशाला, अधिनियम की धारा 43 के अनुसार अनुमोदित नहीं है और इस प्रकार धारा 43 के आदेशात्मक प्रावधानों का अनुपालन नही किया है। अपीलार्थी को रेफरल लेब से जांच कराने का भी अवसर नहीं मिला है। विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी ने अपीलार्थी के लघु व्यापारी होने के तथ्य पर भी विचार न कर अत्यधिक दण्ड से दण्डित करने में भी अवैधानिकता की है। अतः अपीलार्थी ने उक्त समस्त आधारों पर आलोच्य आदेश को अपास्त कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

8. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से आलोच्य आदेश का समर्थन किया है और अपीलार्थी के द्वारा किये गए तर्को को अस्वीकार करते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

9. इस विविध सिविल अपील के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विद्वान न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा आलोच्य आदेश दि.

(डी. के. नागले)
पीठासीन अधिकारी

10.10.2019 अनुसार अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपनी फर्म से अवमानक दहीं का विक्रय एवं संग्रहण कर उसके द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित मानकर एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत अनावेदक/अपीलार्थी पर 75,000/–रूपए की शास्ति अधिरोपित किये जाने में साक्ष्य, तथ्यों एवं विधि की कोई त्रुटि की है, जिससे उक्त अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने अथवा संशोधन के योग्य है ?

//तार्किक विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष//

10. अपीलार्थी की ओर से तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध मामला शंका से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। नियम–3.1.2:2 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में यह प्रावधान है कि यदि न्याय निर्णयन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों या उनमें से किसी एक के विरूद्ध जो जांच की गई है, उससे निर्देश में यथा अभिकथित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन संदेह से परे साबित नहीं हुआ है, तब वह ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मामले को खारिज कर देगा। उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इस मामले में प्रत्यर्थी/राज्य को अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामलों के समान सबूत का भार शंका से परे साबित करने के स्तर का है।

11. अभियोजन का पूरा मामला नमूना और नमूने का विश्लेषण पर आधारित है। इस संबंध में नमूना लेने की प्रक्रिया और विश्लेषण के लिये भेजने की रीति के प्रावधान, नियम 2.4 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में दिये गए हैं, जिसके तहत् यह प्रावधान है कि नमूनों को लेते समय कम से कम दो साक्षियों को बुलाया जावेगा तथा तैयार किये गए सभी प्रारूपो एवं दस्तावेजों पर इन साक्षियों से हस्ताक्षर कराये जावेंगे। हस्तगत मामले में नीरज श्रीवास्तव परि.सा.1, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, की साक्ष्य पेश की गई है, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में बताया है कि उन्होंने 2 किलो दही को समरस कर विधिवत् 4 भागों में बांटकर फार्मलिन मिलाकर पैक कर पेपर स्लिप क्र. 58612 चिपचा कर पैक किया, लेबल प्र.पी. 3 है तथा पंचनामा प्र.पी. 4 बनाया, जिसके 'सी' से 'सी' भाग में साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी. 1 में उसने साक्षियों के पूरे नाम, पते नहीं लिखे हैं। स्वतः कहा कि उसने पंचनामे में लिखे हैं। इसके अतिरिक्त, नमूना लेते

(... ... नागले)
... अपील अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण
... , खण्डलेश्वर (म.प्र.)

समय साक्षियो के संबध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है। नमूना लेते समय नियम में यह प्रावधान है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूना लेते समय कम से कम दो साक्षियों को बुलाएगा। परन्तु, अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेते समय दो साक्षियों को बुलाया गया था और वे दो साक्षी कौन हैं, उन्हें कैसे बुलाया गया, उनकी समाज में क्या प्रस्थिति है। उक्त प्रावधान का पालन नहीं करने से इस मामले में नीरज श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी परि.सा. 1 के द्वारा आलोच्य नमूना लेने की प्रकिया विधिविरूद्ध हो जाती है, जिससे परिवादी राज्य का अपीलार्थी के विरूद्ध मामला शंका के दायरे में आ जाता है।

12. नियम 2.4:5 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में खुले हुए कंटेनर से नमूना लेने का प्रावधान इस प्रकार है कि जहां कोई नमूना किसी खुले हुए कंटेनर से लिया जाता है तो नमूना लेने वाला व्यक्ति उसी वस्तु की मूल दशा के एक कंटेनर से यदि ऐसा कंटेनर उपलब्ध है और जिसमें किसी प्रकार की घोषणा की गई है, नमूना लेगा तथा खाद्य विश्लेषक को इस बारे में सूचना देगा। उक्त प्रावधान का आशय यह होना प्रतीत होता है कि यदि नमूना खुले हुए कंटेनर से लिया जाता है तो मूल कंटेनर से भी नमूना लिया जाना आवश्यक है। परन्तु इस मामले में नीरज श्रीवास्तव परि.सा. 1 ने अपनी साक्ष्य में कहीं भी यह नहीं बताया है कि उसने आलोच्य दही का नमूना खुले कंटेनर से लिया या बंद कंटेनर से लिया। साक्ष्य के अभाव में उक्त नियम का पालन प्रमाणित नहीं होता है। इससे इस मामले में दहीं का नमूना लेने की प्रकिया को विधिवत् होना नहीं कहा जा सकता।

13. नियम 2.4:7 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में यह प्रावधान है कि विश्लेषण के प्रयोजन के लिये खाद्य वस्तु का नमूना शुष्क बोतल या जार अन्य उपयुक्त कंटेनर में लिया जावेगा, जिन्हें इस प्रकार बंद किया जाएगा, जिससे कि उनमें रिसाव, वाष्पित या सुखी वस्तु की दशा में नमी के प्रवेश को निवारित किया जा सके और सावधानीपूर्वक उसे सीलबंद किया जावेगा। परन्तु यदि किसी सीलबंद पैकेज को विनिर्माता अथवा खाद्य कारबारकर्ता द्वारा बेचा गया है और उसे नमूने के रूप में सीलबंद किया गया है, तब अलग से कंटेनर में सीलबंद करना अपेक्षित नहीं होगा। हस्तगत मामले में नीरज श्रीवास्तव, परि.सा. 1 ने साक्ष्य दी है कि उसने 2

किलो दही को समरस कर विधिवत चार भागों में बाटकर फार्मलिन मिलाकर पैक कर पेपर रिलप क्र. 58612 चिपकाकर पैक किया, लेबल प्र.पी. 3 है। उक्त साक्ष्य से ही यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा इस मामले में नमूना लेते समय नियम 2.4.7 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के प्रावधानों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। नमूना लेने के पश्चात् किस प्रकार उसे समरस किया गया, इस बाबत् साक्ष्य नहीं है। नमूना लेने के पश्चात किस प्रकार नमूने को शुष्क बोतल में बंद किया, जिससे रिसाव, वाष्पित या सुखी वस्तु की दशा में नमी के प्रवेश को निवारित किया जा सके, के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। इस मामले में किसी सीलबंद पैकेज का नमूना लिया गया, ऐसा अभियोजन का मामला नहीं है। इसलिए इस संबंध में खाद्य विश्लेषक से नमूना सबस्टेण्डर्ड होने की प्राप्त जांच रिपोर्ट को शुद्ध होना नहीं माना जा सकता और उसकी सत्यता इसी आधार पर संदेह के दायरे में आएगी।

14. नमूनों को किस रीति में पैक एवं सीलबंद किया जाएगा, के संबंध में प्रावधान नियम 2.4.9 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में दिये गए हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे प्रकट हो कि नमूने के कंटेनर/जार के डॉट/ढक्कन को मजबूती से बंद किया, ताकि अभिवहन में नमूने की अंतर्वस्तु का रिसाव न हो सके, इसके पश्चात बोतल या कंटेनर को पूर्ण रूप से मोटे कागज में उचित रूप से लपेटा गया, सफाई से कागज के किनारों को मोड़ा गया और उनको गोंद से चिपकाया गया, कंटेनर के उपर से नीचे तक कागज की पर्ची को चारों तरफ लगाया गया, जिस पर अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर थे और नमूने की कोड संख्या भी पर्ची पर चिपकाई गई और उस व्यक्ति के, जिससे नमूना लिया गया, के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को ऐसी रीति में लगाया गया, जिससे कि कागज की पर्ची और रेपर दोनों पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप आ जाए। इस बाबत् भी साक्ष्य नहीं है कि बोतल या कंटेनर के उपर ढके गए कागज को मजबूत सूतली या धागे के द्वारा उपर से नीचे तक और आर–पार बांधा जाएगा। इसके पश्चात सूतली या धागे को कागज की पर्ची पर सील करने की वैक्स द्वारा जकड़ा जाएगा और उस पर प्रेषक की मुद्रा की सुभिन्न और स्पष्ट छाप होगी, एक छाप पैकेट के उपर होगी और

(डी. के. नागले)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण
जिला शिवपुरी, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

दूसरी छाप पैकेट के नीचे होगी तथा अन्य 2 छाप पैकेट के मुख्य भाग पर होगी, सूतली या धागे की गांठों को सील करने की वैक्स से ढका जाएगा, जिस पर प्रेषक की मुद्रा की छाप होगी। इसलिए इस मामले में नमूना लेते समय उक्त प्रावधानों का पालन किया गया होना प्रमाणित नही किया है, इस कारण भी लिया गया नमूना संदेह के दायरे में आता है।

15. नमूना को किस रीति से खाद्य परीक्षक को भेजा जाएगा, के संबंध में प्रावधान नियम 2.4:10 खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 में दिये गए हैं। प्रावधान यह है कि प्ररूप 6 में ज्ञापन के साथ–साथ विश्लेषण के लिये नमूने के एक भाग को सीलबंद कटेनर में नमूने की अखण्डता को बनाये रखने की समुचित दशा में खाद्य विश्लेषक को सीलबंद पैकेट में भेजा जाएगा। हस्तगत मामल में दही का नमूना लेना बताया गया है। नीरज श्रीवास्तव परि.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि नमूने के एक भाग को फार्म 6 के साथ राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल को जांच हेतु भेजा गया। परन्तु, अभिलेख पर इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है कि नमूने की अखण्डता को बनाये रखने की समुचित दशा में आलोच्य दही का नमूना खाद्य विश्लेषक को सीलबंद पैकेट में भेजा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अभिहित अधिकारी डॉ0 रमेश नीमा परि.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दही यदि उचित रख–रखाव से नहीं रखा गया है तो वह एक ही दिन में खराब हो जाता है, उचित रख–रखाव से उसका मतलब फ्रीज आदि में दही को रखना है। किस प्रकार फ्रीज आदि में दही के नमूने को रखकर खाद्य विश्लेषक को भेजा गया, बाबत् अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण तरीके से लिये गए नमूने को खाद्य विश्लेषक को भेजा गया, जहां से अपीलार्थी के विरूद्ध सबस्टेण्डर्ड दही की रिपोर्ट प्राप्त हुई तो ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को दण्डित करना उक्त नियमों के विरूद्ध है।

16. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मेरे मत में, इस मामले में आलोच्य दही का नमूना लेने, उसे खाद्य विश्लेषक को भेजने के लिये बनाये गए नियम का खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है और आकस्मिक तौर पर नमूना लेकर केवल खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को दण्डित किया है, जो अपीलार्थी के निष्पक्ष परीक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

(डी. के. नागले)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण,
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर (म.प्र.)

है और राज्य का मामला शंका से परे प्रमाणित नहीं है। शंका का लाभ अपीलार्थी को दिया जाना उचित है। प्रस्तुत अपील मंजूर किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

17. उक्त आधारों पर प्रस्तुत अपील मंजूर की जाती है। परिवादी/राज्य का मामला शंका से परे प्रमाणित नहीं किये जाने से अपीलार्थी/अनावेदक के विरूद्ध पारित आलोच्य आदेश अपास्त किया जाता है। यदि अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा कोई शास्ति की राशि जमा की है तो वह उसे विधिवत् वापस लौटाई जावे।

18. आदेश की प्रति उनके न्यायालय के मूल अभिलेख सहित अवर न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

(डी.के.नागले) 04-3-22
पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपील
अधिकरण सह प्रधान जिला न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर, म0प्र0

आदेश मेरे द्वारा डिक्टेशन देकर
टंकित कराया गया।

(डी.के.नागले) 04-3-22
पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपील
अधिकरण सह प्रधान जिला न्यायाधीश
पश्चिम निमाड, मण्डलेश्वर, म0प्र0